

## Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . . . of 20 . .

Date of Order or Proceeding

प्रियपेद्वारम्प्रहि०पेट्सीं प्रवृष्टिनी Signature of Presiding Officer अमियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

Signature of Parties or Pleaders where necessary

10/10/17

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी दामोदर उप0

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०४०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320–2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री कें0कें0 शुक्ता द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम—लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।

अमियुक्त पर मा०द०वि० की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अमियोग है जो न्यायालय की अनुमित से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने को आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दिश्ति होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अमियुक्त को धारा 379 भा0द0वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपरामन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अमियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अमियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जप्त शुदा मैंस पूर्व से फरियादी की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में

ग्रेषित हो।

(A.K. Cupta) Y
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

ZIVVI,

glufilisel sy ne

\$2,800

इ। ४ का क्रामा

रामेकारामी (एड